एसीबी राजस्थान द्वारा वर्ष 2022 के पहले 6 माह में कार्रवाई का कीर्तिमान स्थापित किया गया।

एसीबी राजस्थान द्वारा इस वर्ष 2022 के पहले 6 माह रिकार्डतोड़ कार्रवाई की गई है, जो अब तक इस अवधि की सर्वाधिक कार्रवाई है। इस वर्ष अब तक **267** प्रकरण पीसी एक्ट के तहत दर्ज किये गये हैं जिनमें 252 ट्रेप के, 9 प्रकरण आय से अधिक संपंति के व 6 पद के दुरूपयोग के प्रकरण शामिल है। वर्ष 2020 में इसी अवधि में **104** प्रकरण दर्ज किये गये थे व वष 2021 में इसी अवधि में **236** प्रकरण दर्ज किये गये थे।

एसीबी द्वारा जिला व उपखंड मुख्यालयों, पंचायत समिति मुख्यालयों सहित समस्त नगर पालिकाओं में भी जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आमजन से अपील की जा रही है कि वे अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई में से भ्रष्ट लोकसेवकों (चाहे राज्य सरकार के हों या केन्द्र सरकार के) को रिश्वत ना दे व एसीबी से हेल्पलाईन 1064 व वाट्सअप हेल्पलाईन नं. 9413502834 पर संपर्क करें। परिवादियों के जायज काम को एसीबी द्वारा पुरजोर प्रयास कर संबंधित अधिकारियों से समय पर सम्पादित कराये जा रहे है।

एसीबी की हेल्पलाईन **1064** व वाट्सअप हेल्पलाइन **9413502834** 24 घंटे उपलब्ध रहती है जिस पर आमजन बहुत सरल, सहज व सुगम रूप से भ्रष्ट लाकसेवकों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं जिनको एसीबी के संवेदनशील अधिकारियों द्वारा सुना जाकर वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचाई जातो है। अधिकारियों द्वारा तत्काल एसीबी टीम को सत्यापन हेतु भेजा जाकर परिवादी की सहायता से भ्रष्ट लोकसेवकों को व उनके दलालों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है।

इस वर्ष के प्रथम 6 माह में एसीबी मुख्यालय द्वारा लंबे समय से पैडिंग प्रकरणों में अनुसंधान पूरा करवाया जाकर वरिष्ठ अभियोजकों व तकनीकी अधिकारियों की विधिक राय के उपरान्त **रिकार्डतोड़** मामलों में **निस्तारण** किया गया है। वर्ष 2020 में **93** प्रकरणों में निस्तारण आदेश दिया जा सका वहीं 2021 में **332** प्रकरणों में व वर्ष 2022 में **346** प्रकरणों में निस्तारण आदेश प्रसारित किये गये है।

ब्यूरो मुख्यालय द्वरा अनुसंधान में हुई देरी के कारणों की तरफ गंभीरता से ध्यान देकर विशिष्ट बाधाओं को दूर किया गया है व जांच/ अनुसंधान के विभिन्न चरणों की समय सीमा भी निर्धारित की गई है जिसके फलस्वरूप प्रकरण समय सीमा में निस्तारित हो रहे हैं व पुराने प्रकरणों में भी प्रभावी कार्यवाही कर निस्तारण किया जा रहा है।

वर्ष 2022 के जून अंत तक न्यायालय में पेश किये गये अंतिम निस्तारण रिपोर्ट में भी कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वर्ष 2020 में **101** प्रकरणों (86 चालान व 15 अंतिम प्रतिवेदन), वर्ष 2021 में **151** प्रकरणों (133 चालान व 18 अंतिम प्रतिवेदन) वहीं 2022 में **247** प्रकरणों (214 में चालान व 33 में अंतिम प्रतिवेदन) में रिपोर्ट्स एसीबी के विशिष्ट **न्यायालयों में पेश** किये गये है।